भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *401

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को घाटा

401. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को हुआ घाटा बढ़कर 15000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का घाटा कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'सरकारी क्षेत्र के बैंकों को घाटा' के संबंध में श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 22 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *401 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): वैश्विक परिचालनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान किए गए, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों को प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2018 के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमश: 1,55,586 करोड़ रुपए तथा 1,53,891 करोड़ रुपए का समग्र परिचालनगत लाभ दर्ज किया। तथापि, मुख्यत: एनपीए के संबंध में पुराने प्रावधान को जारी रखने के कारण उन्होंने एनपीए तथा अन्य आकस्मिकताओं के लिए क्रमश: 2,40,956 करोड़ रुपए तथा 2,36,649 करोड़ रुपए का समग्र प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: 85,370 करोड़ रुपए और 80,084 करोड़ रुपए की समग्र निवल हानि हुई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएसबी की समग्र हानि में वित्तीय वर्ष 2017-18 की समग्र हानि की तुलना में 5,286 करोड़ रुपए कमी आई। इसके अलावा, पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण तथा सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप उनका सकल एनपीए जो दिनांक 31.3.2018 को 8,95,601 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.3.2019 को कम होकर 7,89,569 करोड़ रुपए हो गया (वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़े, दिनांक 31.3.2019 के अनंतिम आंकड़े)।

उपर्युक्त 4आर कार्यनीति के अंतर्गत उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के द्वारा ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन करके, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण वापस लेकर और इरादतन चूककर्ताओं को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करके एवं उन्हें बाजार से निधियां जुटाने से प्रतिबंधित करके ऋण संस्कृति में परिवर्तन किया गया।

(ii) पिछले चार वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा 2.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करके और पीएसबी द्वारा स्वयं 0.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निधियां जुटाकर पीएसबी को 3.12 लाख करोड़ रुपये की सीमा तक पुनर्पूंजीकृत किया गया।

(iii) पीएसबी सुधार एजेंडा के तौर पर पीएसबी में किए गए मुख्य सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पूर्व आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन तथा संबद्धता, परियोजना वित्तपोषण में समूह तुलन-पत्र की जांच करना और नकदी प्रवाह को सीमित करना, गैर-निधि और अंतिम जोखिम के मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।
2. आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों के उपयोग को लागू किया गया है।
3. उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति और निगरानी की भूमिकाओं को सख्ती से अलग किया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र दोनों का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।
4. एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किया गया है।

पीएसबी के लाभ उनकी बढ़ती वित्तीय सुदृढ़ता में दिखाई देता है। वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार (दिनांक 2.7.2019 को सूचित मार्च 2019 के अनंतिम आंकड़ों सहित) पीएसबी के सकल एनपीए में गत वित्तीय वर्ष के दौरान 1,06,032 करोड़ रुपए की कमी आई है और गत चार वित्तीय वर्षों के दौरान 3,16,479 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली की गई है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू ऋण वृद्धि बढ़कर 10.20% हो गई है। पीएसबी की बढ़ती हुई सुदृढ़ता इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि सभी पीएसबी न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा को पूरा करते हैं, छह पीएसबी जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संरचना के अंतर्गत रखा गया था, वे अब उधार देने के प्रतिबंध से बाहर आ गए हैं, एनपीए की पारदर्शी पहचान करके पीएसबी के तुलन-पत्र को काफी हद तक परिशुद्ध कर दिया गया है और उनका प्रावधान कवरेज अनुपात सात वर्षों में उच्चतम स्तर पर है।

टिप्पणी: पीएसबी के संबंध में उपर्युक्त आंकड़ों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के आंकड़े भी शामिल हैं जिसे दिनांक 21.1.2019 से आरबीआई के द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

*****